

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि० संख्या-भवन/11/आरोप (वास्तुविद)-78/2025...../ पटना, दिनांक- 27/4/26

:: अधिसूचना ::

भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक वास्तुविद के रूप में नवनियुक्त श्री रोहित आनंद को सहायक वास्तुविद के रिक्त पदों के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-5882(भ) दिनांक-25.06.2025 द्वारा कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नगर विकास एवं आवास विभाग को सेवा सौंपी गई।


(2) उक्त सेवा संवर्ग नियमावली के अन्तर्गत बिपार्ड, गया जी में दिनांक-02.07.2025 से दिनांक-30.11.2025 तक नवनियुक्त सहायक वास्तुविदों का संस्थागत आवासीय प्रशिक्षण संचालित किया गया। श्री आनंद द्वारा उक्त प्रशिक्षण में भाग लिया गया। इस दौरान दिनांक- 23.10.2025 को सहायक निदेशक, बिपार्ड, गया जी द्वारा छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में श्री आनंद के कमरे में नशीले पदार्थ (सिगरेट, गुटका एवं तम्बाकू) एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्रियाँ पाये जाने पर बिपार्ड, गया जी के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-7459 दिनांक-25.10.2025 द्वारा उन्हें नियंत्री विभाग के लिए विरमित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

(3) तदालोक में विभागीय पत्रांक-188(भ) दिनांक-08.01.2026 द्वारा श्री आनंद से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री आनंद के पत्रांक-शून्य दिनांक-08.01.2026 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में चिकित्सकीय कारणों से नशीले पदार्थ का सेवन उनके द्वारा नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए नशीले पदार्थ एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्रियाँ उनके आवंटित कमरे में किसके द्वारा रखी गई इस सन्दर्भ में अनभिज्ञता जाहिर की गई।

(4) श्री आनंद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि प्रशिक्षण के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन करने का यद्यपि कोई प्रमाण नहीं है तथापि उनके आवंटित कमरे में नशीले पदार्थ एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। उक्त सामग्री उनके कमरे में पाये जाने के सन्दर्भ में उनका स्पष्टीकरण/बचाव अभिकथन में दिया गया तथ्य संतोषप्रद नहीं है। अतः श्री रोहित आनंद, सहायक वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग को भविष्य के लिए सचेत करते हुए बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली, 2014 के नियम-8 के अन्तर्गत इनकी परीक्ष्यमान अवधि को पूर्ण होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है।

(5) प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप (वास्तुविद)-78/2025...../ पटना, दिनांक- 27/4/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,


भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

रंजित

कृ०पृ०उव.....

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप (वास्तुविद)-78/2025.....^{3828 (अ)} पटना, दिनांक 27/4/26


प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा-02/श्री रोहित आनंद, सहायक वास्तुविद, मुख्य वास्तुविद का कार्यालय/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भवन/11/आरोप (वास्तुविद)-78/2025.....^{3828 (अ)} पटना, दिनांक- 27/4/26

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2942 दिनांक-13.03.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।